बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 218271 पटना, दिनांक- 29/1/15

ग्रा0 वि0-4/5- ई-शक्ति-01-03/2014

प्रेषक,

एस.एम.राजू,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार ।

विषय :- **प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन के क्रम में लाभार्थियों का विवरण प्राप्त कर स्कीम वार कम्प्यूटराईजड डाटा बेस तैयार करने के संबंध में ।**

प्रसंग:- मुख्य सचिव, बिहार के पत्र संख्या- 06 दिनांक- 05.01.2015

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के आलोक में कहना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सभी परिवारों के लिए बैंक खाता खोलने का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की पूर्व से यह मंशा रही है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तानांतरित करा दी जाय । इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित प्रकार से कार्रवाई की जाय ।

1. अपने अधीनस्थ जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों/ स्वयं सेवकों के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की ग्रामवार/पंचायतवार सूची तैयार कर उनके बैंक खाता का विवरण प्राप्त कर लिया जाय ।
2. जिन लाभार्थियों का बैंक खाता नहीं खुल पाया है उनका एक खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना अभियान के अंतर्गत खोलवाना सुनिश्चित किया जाय । सामान्यत: पति-पत्नी एवं दोनों के नाम से संयुक्त खाता खुलवाया जाय ।
3. बैंक खाता विवरणी प्राप्त करने के पश्चात् लाभार्थियों का कम्प्यूटराईजड डाटा बेस तैयार करा लिया जाय और उसकी जॉच कराकर संपुष्टि करा ली जाय ताकि राशि को सीधे उनके बैंक खातों में हस्तान्तरण करने पर निर्णय लिया जा सके ।

कृप्या इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एस.एम.राजू)

सचिव 28/1/15

ज्ञापांक 218271 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव
28/1/15

ज्ञापांक 218271 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव
28/1/15

ज्ञापांक 218271 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव 28/1/15

Cal-2966/15

अंजनी कुमार सिंह, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
Anjani Kumar Singh, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel. No. : 0612-2215804 (O), Fax : 0612-2217085
E-mail : anjani41@yahoo.com

पत्रांक ......06..................

दिनांक 05 जनवरी, 2015

Urgent

Instruct to all DM, DDC, DWO, BDO, P.O, BWO for N/A

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/समाज कल्याण विभाग/कृषि विभाग/शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

OSD (KB)

विषय- प्रधानमंत्री जनधन योजना के कार्यान्वयन के क्रम में लाभार्थियों के बैंक खाता का विवरण प्राप्त कर स्कीम वार कम्प्यूटराइज्ड डाटावेस तैयार करने के संबंध में ।

सचिव कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना
06 JAN 2015

महोशय,

उपर्युक्त विषय के विषय में कहना है कि आप अवगत हैं कि भारत सरकार की पहल पर सभी बैंकों द्वारा सभी परिवारों के लिए बैंक खाता खोलने का अभियान चलाया जा रहा है । राज्य सरकार की पूर्व से ही यह मंशा रही है कि विभिन्न लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के तहत सामग्री का क्रय कर आपूर्ति करने की बजाय आवश्यक राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाता में हस्तांतरित कर दिया जाए । जरूरत इस बात की है कि बैंक खाता खोलने के इस अभियान के दौरान इस मंशा को मूर्त रूप देने हेतु अभियान चला कर विभाग के अधीन विभिन्न स्कीमों के सभी लाभार्थियों का बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके लिए निम्नांकित प्रकार से कार्रवाई की जाए -

(1) अपने अधीनस्थ जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों/स्वयं सेवकों के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के लाभार्थियों की ग्राम-वार सूची तैयार कर उनके बैंक खाता का विवरण प्राप्त कर लिया जाए ।

(2) जिन लाभार्थियों का बैंक खाता नहीं खुल पाया है, उनका स्थानीय बैंक में एक खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना अभियान के दौरान शाखा प्रबंधक/बी.सी. के माध्यम से खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । सामान्यतः पत्नी और पति दोनों के नाम से संयुक्त खाता खुलवाया जाए ।

(3) इसी प्रकार विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के सभी अभिभावकों के बैंक खाता का विवरण तैयार करा लिया जाए ।

(4) सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के नाम अलग एक खाता खुलवाया जाए भले ही परिवार के अभिभावक के नाम से एक बैंक खाता खुला हो ।

2. उपर्युक्त कंडिका 1 उपकंडिका (2) में वर्णित कार्रवाई पूर्ण कर लाभार्थियों का कम्प्यूटराइज्ड डाटा बेस तैयार करा लिया जाए और उसकी जाँच कराकर संपुष्टि करा ली जाए ताकि राशि को सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरण का निर्णय लिया जा सके ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल कार्रवाई पूर्ण कराई जाए ।

विश्वासभाजन

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव